राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील / सीलिंग / 2006 / 5339 / बून्दी

भंवर बाई बैवा अमरसिंह राजपूत (मृतक) जरिये प्रतिनिधि :–

1. भंवरसिंह पुत्र रामसिंह
2. धनसिंह पुत्र रामसिंह
3. विरेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह
4. नन्दकंवर पुत्री रामसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम चौतरों का खेडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी

5. मु0 पेप कंवर बैवा हरिसिंह राजपूत निवासी ललवाडी तहसील निवाई।
6. भलकंवर बैवा जोरावर सिंह राजपूत निवासी नगरफोर्ट तहसील उनियारा जिला टोंक।

.....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के0पाटन जिला बून्दी।
2. जोधराज सिंह पुत्र छगनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चौतरों का खेडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी।

.....रेस्पोडेन्ट

एकलपीठ
मोडू दान देथा, सदस्य

उपस्थित :

श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक : 06–03–2020

यह अपील राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 23(2–क) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर

(सीलिंग), बून्दी द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 84/2006 में पारित निर्णय दिनांक 29–7–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह अपील अंतर्गत धारा 23 (2क) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम जोत सीमा अधिनियम 1973 विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त कलक्टर (सिलिंग) बून्दी दिनांक 29.07.2006 सिलिंग प्रकरण संख्या 84/06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। सिलिंग प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अध्याय 3बी के तहत सिलिंग कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा आरम्भ की गई तथा 28.10.1975 को निर्धारिती के पास सिलिंग सीमा से कम भूमि होने से कार्यवाही समाप्त कर दी। इसी प्रकार भंवर बाई के पुत्र रामसिंह के विरूद्ध नये सिलिंग कानून के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई जो दिनांक 12.03.1976 को निर्धारिती के पास सिलिंग सीमा से कम भूमि होने से समाप्त कर दी गई तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा रामसिंह के विरूद्ध की गई सिलिंग कार्यवाही जिसका निर्णय दिनांक 12.03.1976 को किया गया उक्त प्रकरण को रि–ओपन करने का आदेश 28.02.1983 को पारित किया गया तत्पश्चात प्राधिकृत अधिकारी ने सिलिंग प्रकरण पुनः दर्ज कर दिनांक 07.06.1999 को निर्णय पारित किया तथा 29 बीघा 13 बिस्वा भूमि अधिग्रहित किये जाने का आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 22.11.2004 को निर्णीत की जाकर इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि रामसिंह भवर बाई पर आश्रित था या नहीं तथा नाबालिग होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कोई व्यक्ति आश्रित हो सकता है या नहीं तथा भूमि के स्टेण्र्डड एकड की सही गणना बाबत पुनः परीक्षण किये जाने का निर्देश प्रदान किया तत्पश्चात अतिरिक्त कलक्टर सिलिंग द्वारा प्रकरण को दर्ज कर सुनवाई की गई तथा नये सिलिंग कानून के तहत रामसिंह के पास सिलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होने के कारण नये सिलिंग कानून के तहत निर्धारिती के पास दिनांक 01.01.1973 को 26.15 स्टेण्डर्ड एकड भूमि होने के कारण अधिग्रहण योग्य नहीं माना परन्तु पुराने सिलिंग कानून के तहत भूर बाई के पास 9.87 स्टेण्डर्ड एकड भूमि सरप्लस होना मानकर 9.87 स्टेण्डर्ड एकड भूमि के अधिग्रहण किये जाने का आदेश दिनांक 29.07.2006 को पारित किया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3— अपीलार्थी के अभिभाषक ने बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि सिलिंग प्रकरण समय सीमा से परे जाकर री ओपन किया गया है तथा 01.04.1966 को राजस्व अभिलेख में भूमि की जो किस्म दर्ज थी उसके अनुसार स्टण्डर्ड एकड बनाये बिना तथा 01.04.1966 को यह भूमि चम्बल कमाड क्षेत्र के गांव की भूमि नहीं थी ना ही नहरी भूमि थी तथा यह भूमि अमर सिंह जी द्वारा धारित भूमि थी तथा भूमि पैतृक होने से रामसिंह का नोशनल शेयर था इस प्रकार गलत गणना करते हुए निर्णय पारित किया गया। अतः एक ही भूमि बाबत जब पुराने सिलिंग कानून के तहत भंवर बाई के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी थी तथा नये सिलिंग कानून के तहत 12.03.1976 को पारित सिलिंग प्रकरण के विरूद्ध रि—ओपन आदेश था इस प्रकार रि ओपन आदेश की पालना में पुराने सिलिंग कानून के तहत प्रकरण का परीक्षण करने की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नहीं थी इस कारण अतिरिक्त कलक्टर सिलिंग बून्दी द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की तथा अपने तर्कों के समर्थन में नोशनल शेयर की गणना करने बाबत आरआरडी 1992 पृष्ठ 450 तथा आरआरडी 1992 पृष्ठ 157 का विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया साथ ही भूमि के 01.04.1966 को निर्धारित दिनांक को किस्म के अनुसार सिलिंग का निर्धारण किये जाने के संदर्भ में आरआरडी 1992 पृष्ठ 249 तथा आरबीजे 2001 पृष्ठ 544 के विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

4— प्रत्यर्थी राज्य सरकार की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर सिलिंग बून्दी द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया तथा भूमि कमाण्ड क्षेत्र में होने से सिलिंग बाबत गणना को विधिसम्मत होना बताते हुए रि—ओपन आदेश के पश्चात पुराने सिलिंग कानून के तहत की प्रकरण के परीक्षण का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी को होने से अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5— हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम बोरदा काछियान की 79 बीघा 15 बिस्वा भूमि सम्वत 2015 से 19 में भंवर बाई के खाते में दर्ज रही तथा 01.04.1966 को भंवर बाई जीवित थी तथा भंवर बाई के विरूद्ध पुराने सिलिंग कानून के तहत सिलिंग प्रकरण संख्या 410/73 में 28.10.1975 को उसके खाते में 79 बीघा 15बिस्वा भूमि मानने के साथ साथ 12 बीघा भूमि सिचिंत होनी मानी है तथा शेष 67 बीघा बारानी भूमि मानी तथा

भूमिधारी की 12 बीघा भूमि के 6 स्टेण्डर्ड एकड माने गये तथा बारानी रकबा 67 बीघा के 17 स्टेण्डर्ड एकड माने गये तथा कुल 23 स्टेण्डर्ड एकड भूमि होना मानकर तथा 30 स्टेण्डर्ड एकड से कम भूमि होने के कारण सिलिंग कार्यवाही समाप्त की गई। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी में भी भूमि की किस्म इसी अनुसरण में अंकित की गई है जिससे भूमि को सम्वत 2022, 23, 24 (1.4.1966) में कमाण्ड क्षेत्र की भूमि नहीं मानी जा सकती है। 28.10. 1975 को पारित निर्णय पारित किये जाने से पूर्व भूमि की निर्धारित दिनांक की किस्म के अनुसार ही गणना की गई तथा पुराने सिलिंग कानून के तहत की गई गणना को कभी आक्षेपित नहीं किया गया न ही रि–ओपन आदेश में 28. 10.1975 के निर्णय में की गई गणना को प्रश्नगत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्टेण्डर्ड एकड की गणना जो भूमि के पश्चातवर्ती समय में कमाण्ड क्षेत्र में आने पर सिचिंत भूमि के रूप में की गई है जो भंवर बाई द्वारा धारित भूमि बाबत सिलिंग सीमा का निर्धारण करते समय किसी भी प्रकार से प्रासंगिक नहीं है क्योंकि हमारे समक्ष प्रस्तुत विधिक दृष्टानत आरबीजे 2001 पृष्ठ 544 जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इसी बिन्दु पर निर्णय पारित किया गया जिसका संदर्भित पैरा संख्या 6 इस प्रकार है :–

> 6. The Division Bench of this Court in Ram Pratap & Ors. Vs State of Rajasthan & Ors., 1988 (2) RLR 520 indicated that ceiling area is to be computed by converting ordinary acres into standard acres of land in accordance with and in a manner laid down u/R. 19 of the Old Ceiling Rules' on the basis of assessment circles and crops formed and deemed to have been formed u/S 149 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956. The classification of land is to be taken as it exited on 1.4.1966.

6– इस विधिक दृष्टान्त के आलोक में भूमि की किस्म के बारे में गणना किये जाने का आधार 1.4.1966 को प्रचलित राजस्व अभिलेख ही सर्वमान्य है तथा भंवर बाई के विरूद्ध पूर्व में पुराने सिलिंग कानून के तहत 28.10. 1975 को जो निर्णय पारित किया गया जिसमें स्टेण्डर्ड एकड की गणना करते हुए भूमि 23 स्टेण्डर्ड एकड मानी गई जो उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अनुसार समूचित गणना है तथा इस पर ध्यान नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि की पश्चातवर्ती किस्म के आधार पर 39.8 स्टेण्डर्ड एकड भूमि की गणना किया

जाना किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नहीं है तथा अतिरिक्त कलक्टर सिलिंग, बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2006 निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

7— परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त कलक्टर सिलिंग, बून्दी द्वारा पुराने सिलिंग कानून के तहत भूमि अधिग्रहण किये जाने बाबत पारित आदेश दिनांक 29.07.2006 निरस्त किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडू दान देथा)
सदस्य